लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
053/2023 (GCMS 2023/154)	22.06.2023	05.07.2023

अनवान

ओ.पी. टेलर निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 7742644681)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.05.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./053/2023(सू.अ.) (05.07.2023)/311 दिनांक 22.06.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 05.07.2023 को अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी से पत्रांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोसूअ/विविध/2023/95 दिनांक 04.07.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र वर्णित चाही गई वांछित सूचना राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के नियम संख्या 03 के तहत काल्पनिक/प्रश्नात्मक सूचना देय नहीं होने से सूचना नहीं दी गई हैं। इसके साथ ही अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित पत्र क्रमांक/लोसूअ/विविध/2023/86 दिनांक 15.06.2023 को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.06.2023 को पृष्ठांकित कर इस न्यायालय को प्रेषित कर निवेदन किया गया है कि यह एक साधारण सूचना है जिसके लिए सूचना अधिकारी ने बहाना बनाया है तथा परिपत्र 02.02.2009 की प्रति भी नहीं दी है। सूचना दिलवाये। अपीलार्थी का उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14.05.2023 सहायक लोक सूचना अधिकारी को किस दिनांक को प्राप्त हुआ है यह अवगत नहीं कराया गया है कि इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि आवेदक के आवेदन का निस्तारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समायवधि में किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी जवाब/टिप्पणी अंकित नहीं की गई जो कि उचित नहीं है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में प्रेषित पत्र जो कि अपीलार्थी द्वारा पृष्ठांकित कर इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी द्वारा सूचना की प्रकृति सामान्य होना अवगत कराया गया है एवं परिपत्र दिनांक 02.02.2009 की प्रति चाही गई है। इस संबंध में हमने अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2023 की छाया प्रति का अवलोकन किया जो कि इस पत्रावली रिकार्ड पर हैं। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में ''**प्रकरण का निस्तारण किस तारीख को हुआ है**'' का अंकन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है, किन्तु अधिनियम 2005 की भावना को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को परिपत्र दिनांक 02.02.2009 की प्रति दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधित समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करावें, एवं अपीलार्थी/आवेदक को परिपत्र दिनांक 02.02.2009 की प्रति भिजवाई जावें। इन निर्देशो के साथ अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस न्यायालय को प्राप्त हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 14.05.2023 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक को परिपत्र दिनांक 02.02.2009 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारीएवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official